तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4507/2003/नागौर देरामादाम बनाम माडी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल पीठ</u>
<u>श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य</u>

उपस्थितः–
श्री रमजान मौहम्मद, अधिवक्ता, प्रार्थी।
विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः– 22-04-2019</u>

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 6-9-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 माडी ने एक राजस्व दावा बाबत खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक जिला कलक्टर मुख्यालय नागौर के यहां इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा संख्या 378 रकबा 24 बीघा 8 बिस्वा में वादिनी का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का है। दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात बनाई जाकर साक्ष्य प्रारम्भ की गई। साक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 1 माडी के बयान लिए गए। न्यायालय का समय पूर्ण होने के कारण उस दिन अधिवक्ता प्रार्थी जिरह नहीं कर सके तथा आगामी तारीख पेशी जिरह नियत की गई। इसके पश्चात न्यायालय पीठासीन अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण आगामी तारीख पेशी दे दी गई। प्रार्थी को जिरह का अवसर दिए बिना दिनांक 6-9-2003 को प्रार्थी की जिरह बंद कर दी गई। यह निगरानी इसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4507/2003/नागौर देरामादाम बनाम माडी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सम्पूर्ण आदेशिकाओं से यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी को जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा कॉस्ट पर अन्तिम अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थी को कॉस्ट पर एक अवसर दिया जाना न्यायोचित था। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6-9-2003 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को जिरह का अवसर प्रदान किया जाए। दिनांक 6-9-2003 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि अधिवक्ता प्रतिवादी को पूर्व में माडी से जिरह करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी माडी के गवाह से जिरह का अवसर दिए जाने के बावजूद भी आयन्दा पेशी पर जिरह नहीं करके अवसर चाहा गया। जिरह का पर्याप्त अवसर देने के बाद पुनः जिरह का अवसर प्रदान करने का अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सही एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र बलहीन व सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि दिनांक 27-7-2003 को जिरह बंद की गई है। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 28-7-2003 दी गई एवं 8-8-2003 को पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकती एवं 6-9-2003 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। न्यायालय को ऐसे मामलों में उदार रूख अपनाना चाहिए था। प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4507/2003/नागौर देरामादाम बनाम माडी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	घोषणा का वाद लेकर आया है, अतः उनकी निगरानी को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 6-9-2003 को निरस्त करते हुए जिरह करने का एक अवसर प्रदान किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दिनांक 28-7-2003 को प्रार्थी की जिरह बंद की गई थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28-7-2003 को जिरह करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। आदेशिकाओं से यह स्पष्ट है कि दिनांक 16-7-2003 को कॉस्ट पर अवसर भी दिया गया था किन्तु माडी को जिरह हेतु कॉस्ट पर अवसर नहीं दिया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देकर प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए। अतः न्याय हित में प्रार्थी को रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) कॉस्ट पर जिरह का अवसर दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6-9-2003 को खारिज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(चिरंजी लाल दायमा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4507/2003/नागौर देरामादाम बनाम माडी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए